कार्यालय वन वृत्त रीवा (म.प्र.)

जयंती कुन्ज वन विश्राम गृह के पास, सेन्ट्रल स्कूल मार्ग रीवा
Ph-242098, E-mail- ccf.rwa@mp.gov.in,

क्रमांक / मा0चि0 / 1053 रीवा / दिनांक 30-01-2017

प्रति,

महाप्रबंधक,
नार्दन कोल फील्डस लिमिटेड
दुधीचुआ परियोजना
पोस्ट– खडिया जिला सोनभद्र उ0 प्र0

विषयः– रीवा वृत्त अंतर्गत वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढन के वनखण्ड दुधीचुआ की रकबा 443.000 हेक्टेयर वनभूमि एवं ग्राम मेढौली के विभिन्न खसरों की 24.809 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि कुल 467.809 हेक्टेयर वन / राजस्व वन भूमि में उपरितल कोयला खनिज उत्खनन व्यपवर्तन का प्रस्ताव–नार्दन कोल फील्डस लिमिटेड।

सन्दर्भः– वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली का पत्र कमांक / मा0चि0 / 51 दिनांक 09.01.2017

––0––

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली ने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक 2317 दिनांक 18.10.2016 से विषयांकित वन प्रस्ताव मे उठाई गई आपत्तियों की पूर्ति पश्चात प्रकरण इस कार्यालय की ओर भेजा गया है, जिसका परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि उठाई गई आपत्ति के **बिन्दु कमांक–3** की पूर्ति नही कि गई है, जो आपके द्वारा मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0 भोपाल से अभिमत प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न किया जाना है। विषयांकित वन प्रस्ताव में प्रस्तावित कक्ष कमांक पी– 262 की कुल वनभूमि 443.000 हेक्टेयर में से 186.254 हेक्टेयर वन भूमि प्रचलित कार्य आयोजना के हाथी कारीडोर में सम्मिलित है। वनक्षेत्र हाथी कारीडोर में सम्मिलित होने के कारण इस प्रस्ताव के संबंध में मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल की अभिमत आवश्यक है।

अतः आपको लेख है कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 द्वारा उठाई गई आपत्ति के बिन्दु कमांक–3 की पूर्ति बावत् मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल की अभिमत प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय की ओर भेजना सुनिश्चित करें, ताकि वन प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय की ओर भेजा जा सके।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / मा0चि0 / 1054 रीवा / दिनांक 30-01-2017

प्रतिलिपिः—(1) **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू—प्रबंध) म0प्र0 भोपाल** की ओर उनके संदर्भित पत्र कमांक / 250 दिनांक 27.1.17 के संदर्भ में सूचनार्थ। आवेदक संस्थान द्वारा वन प्रस्ताव में उठाई गई आपत्ति के बिन्दु कमांक—3 की पूर्ति नही की गई है। उन्हे बिन्दु कमांक—3 की पूर्ति करने हेतु लेख किया जा रहा है, आपत्ति की पूर्ति हो जाने पर वन प्रस्ताव तत्काल इस कार्यालय द्वारा अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावेगा।

(2) **वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली** की ओर उनके संदर्भित पत्र कमांक / मा00चि0 / 51 दिनांक 09.01.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ। आपके द्वारा भेजे गये वन प्रस्ताव का परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि आपत्ति के बिन्दु कमांक—3 की पूर्ति नही कराया जाकर यह लेख कर दिया गया है कि उक्त बिन्दु की पूर्ति आपके द्वारा की जानी है, जबकि उक्त आपत्ति की पूर्ति आवेदक संस्थान द्वारा मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0 भोपाल से अभिमत प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न किया जाना है। अतः आपकी ओर मूलतः वन प्रस्ताव वापस भेजकर लेख है कि बिन्दु कमांक—3 की पूर्ति आवेदक संस्थान से कराया जाकर वन प्रस्ताव इस कार्यालय की ओर भेजना सुनिश्चित करें, ताकि वरिष्ठ कार्यालय की ओर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा सके।

संलग्नः— वन प्रस्ताााव मूलतः

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त, रीवा (म.प्र.)